

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० : 182/2024

अनवान :

1. ईश्वर पुत्र राजमल जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. रणधीर पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
2. महिपाल पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
3. महेन्द्र पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
4. रामसिंह पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
5. रोशनीदेवी पत्नी कृष्ण जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।
6. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबंधक भिरानी।
7. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा आदमपुर जरिये शाखा प्रबंधक शाखा आदमपुर जिला हिसार।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री प्रभूराम गोदारा तथा वकील प्रतिवादीगण श्री संदीप गोदारा तथा पूनमचन्द वर्मा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण मे वादभूमि रोही मौजा भिरानी के खाता संख्या 637/7 के मु०नं० 120 के कि०नं० 14, 16, 17, 18, 24, 25, मु०नं० 121 के कि०नं० 13, 14, 15/1, 16/2, 17 ता 25 कुल खसरे 19 की 4. 6050 है० बरानी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में वादी अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भूअ. /25/729 दिनांक 18.08.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा भिरानी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मौजा भिरानी

- 1 ईश्वर पुत्र राजमल हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार राहिन एचडीएफसी बैंक शाखा आदमपुर :- रोही मौजा भिरानी मु०नं० 120 कि०नं० 14 की 0.253 है० बरानी, कि०नं० 16 की 0.253 है० बरानी, कि०नं० 17 की 0.253 है० बरानी, कि०नं० 18 की 0.253 है० बरानी, कि०नं० 24 की 0.253 है० बरानी, कि०नं० 25 की 0.253 है० बरानी, मु०नं० 121 कि०नं० 19/1 की 0.1265 है० बरानी, कि०नं० 20 की 0.253 है० बरानी, कि०नं० 21 की 0.253 है० बरानी, कि०नं० 22/1 की 0.1265 है० बरानी कुल किता 10 कुल रकबा 2.277 है०।
- 2 रामसिंह पुत्र अमिचन्द 7/32 हिस्सा, महेन्द्र पुत्र अमिचन्द 7/32 हिस्सा, महिपाल पुत्र अमिचंद 7/32 हिस्सा, रणधीर पुत्र अमिचन्द 7/32 हिस्सा, रोशनी देवी पत्नी कृष्ण 7/32 हिस्सा जाति जाट सा० देह खातेदार राहिन महेन्द्र, महिपाल, रणधीर एसबीआई शाखा भिरानी :- रोही मौजा भिरानी के मु०नं० 121 कि०नं० 19/2 की 0.1265 है० बरानी, कि०नं० 22/2 की 0.1265 है० (0.1205 है० बरानी, 0.006 है० रास्ता), कि०नं० 13 की 0.253 है० बरानी, कि०नं० 14 की 0.253 है० बरानी, कि०नं० 15/1 की 0.076 है० बरानी, कि०नं० 16/2 की 0.228 है० बरानी, कि०नं० 17 की 0.253 है० बरानी, कि०नं० 18 की 0.253 है० बरानी,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

कि०नं० 23 की 0.253 है० (0.252 है० बारानी, 0.001 है० रास्ता), कि०नं० 24 की 0.253 है० बारानी, कि०नं० 25 की 0.253 है० बारानी कुल किता 11 कुल रकबा 2.328 (2.321 है० बारानी, 0.007 है० रास्ता)। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को पर्चा डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.10.20... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Dial

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



नोट :- पत्रों डिक्री के जेफ नं० 2 के पत्रों ल० 3 के 4 यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त के स्थान पर विभाजन के बाद बैंक रहन विभाजित सिम्पल पर सिम्पल कर पत्रावली रखन जाके " जद जाके

Dial
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा